उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)
अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–14/2018–19

सरकार
–बनाम–
अज्ञात
आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –2693/अप0 शा0 दिनांक – 08.08.2018 के द्वारा वादी पुलिस निरीक्षक–सह– थाना प्रभारी गुमला के स्व–लिखित आवेदन के आधार पर गुमला थाना काण्ड सं0–180/2018 दिनांक–29.06.2018 धारा–12 झारखण्ड गो–वंशीय हत्या प्रतिषेध अधिनियम–2005 एवं पशुओं के प्रति कुरता निवारण अधिनियम के आलोक में अवैध रुप से गो–वंशीय पशु हत्या कर रखना तथा व्यापार करने के आरोप में जप्त पीकअप भेन सं0 – JH01CW- 1787 के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को अपना पक्ष न्यायालय में रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा सहायक लोक अभियोजक गुमला से वैधिक मंतव्य की मांग की गई।

उत्तरवादीगण को नोटिस निर्गत किया गया । उत्तरवादीगण अनुपस्थित रहने के कारण उनका पक्ष को नही सुना गया।

लोक अभियोजक गुमला द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि झारखण्ड गो–वंशीय पशु हत्या प्रतिषेष अधिनियम–2005 (Jharkhand Bovine Animal Probhition of Slaughter Act.) के दंडात्मक धारा–12(3) में उल्लेख है कि: “Whenever a vehicle is found to have been used in transportation of cattle or, beef contravening any provision of this Act. the vehicle shall be forfeited to the State Government”

उक्त अधिनियम की धारा 12(1) एवं 12(3) में उल्लेखित सजा अपराधिक न्यायालय में संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर दिया जा सकता है, एवं अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लघन कर गोवंशीय पशुओं या गोमांस का वहन करते पाए जाने पर संलिप्त वाहन को न्यायालय द्वारा राज्य के पक्ष में Forfeit किया जाएगा।

इस संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि झारखण्ड Bovin Animal Prohibition of Slaughter Act.2005 में निहित प्रावधानों के आलोक में सक्षम न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध होने के उपरान्त ही राजसात की कारवाई प्रारंभ की जा सकती है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Cr.M.P.No. 2862/2013 With Cr.M.P.No. 2865/2013 द्रष्टव्य।

उक्त विधिक प्रावधानों एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में वर्तमान में राजस्थान की कार्रवाई करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

इस आशय की सूचना पुलिस अधीक्षक गुमला / लोक अभियोजक गुमला को भेजें।

लेखापित एवं **संशोधित**

उपायुक्त
गुमला

उपायुक्त
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.12.31 13:03:26 +05:30
Location: 192.168.5.105